भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1588
09.02.2026 को उत्तर के लिए

वन भूमि पर निर्माण और विस्तार

1588. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर धार्मिक संरचनाओं और गतिविधियों की अनुमति देने के लिए मानदंड निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों के मुख्य उपबंध क्या हैं, विशेष रूप से यह सिद्धांत कि 1980 के बाद वन भूमि पर किसी भी निर्माण या विस्तार को अतिक्रमण के रूप में माना जाएगा;

(ग) क्या ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं और सभी राज्यों में इन्हें अपनाए जाने की स्थिति क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान धार्मिक प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन अथवा नियमितीकरण के किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृत, पुनर्विचार या निरस्त कर दिया गया है; और

(ङ) वन क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से संबंधित दावों का समाधान करते हुए वन्य जीव पर्यावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) केंद्र सरकार ने वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर धार्मिक संरचनाओं और गतिविधियों की अनुमति देने के लिए मानदंड निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।